

सारीख
हस्ता

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

30.4.21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 28.4.21 को पेश हो।

18.5.21

उभय पक्ष द्वारा पेश की जा रही पीठासीन अधिकारी राज्यीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 28.4.21 को पेश हो।

7
सेडर


उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29.6.21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 29.6.21 को पेश हो।

18-10-21

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प ग्राम
पीठास में पेश हुई, प्रतिवादीगण अनुपस्थित, भायल
तहसीलदार मांडल द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले
शा.पठ किया गया। प्रार्थना का प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्ठ से लिखा
जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
फैलक शुमार लेकर नम्बर से कम हो।



उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021





न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

क्रमा संख्या :- 12/21

श्रीमती धर्मा लाली वंशीलाल भारती निवासी- किलियाशुर्द नं० भीलवाड़ा
--प्रार्थी

बनाम

श्री मंगू लाली धीसा शुर्दर निवासी- पीथास कारवेड़ा, पीथास नं० मांडल (भीलवाड़ा)
--विपक्षीगण
(सिद्धांशु प्र. कनकाशु)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 18.10.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर
इन किया कि ग्राम.....पीथास.....पटवार हल्का.....पीथास.....तहसील मांडल/में उसके

/संयुक्त खातों की आराजी नं.....2589, 2590, 2591, 2592.....कुल किता05
.....1-0117.....हेक्टेयर.....स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी

यिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते
युक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....22-1-21.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
नेकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी करने का

कारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेश
है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक

अन्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....पीथास.....
हल्का.....पीथास.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.....2589, 2590, 2591/1

592.....कुल किता05.....रकबा.....1-0117.....हेक्टेयर.....-

के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है ।
रगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....पीथास.....को.....600/-

ये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें ।
मिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील

दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

लिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर निधामुस्त पत्थरगद्दी की
कर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

दुर्द
या
का
ील
ील
थास
थास
थास
सील
थास

धर्मा लाली